UPRB010035532026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1488/2026

एहसान उम्र 20 वर्ष पुत्र यार मोहम्मद निवासी विन्धा सेवक मजरे भागीरथपुर, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

20–06–2026

आवेदक–अभियुक्त **एहसान** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **140/2026**, धारा–**191(2),191(3)190,109, भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **मोहनगंज,** जिला **अमेठी,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– प्रार्थी का भाई अब्दुल कादिर व मोईनुददीन पुत्रगण मोहब्बत दिनांक 14.05.26 को दोपहर मे लगभग एक बजे शाहमऊ बाजार मे मकसूद फौजी के यहां बैठे थे तभी उनके गांव के ही कुख्यात अपराधी मो०तहरीम व मो०तसलीम पुत्रगण नसीम निवासी सिंहपुर व सकलैन पुत्र मो० तौफीक ग्राम तामामऊ व नदीम पुत्र सईद निवासी नगदैयापुर 04 अन्य अज्ञात आये सभी लोग कील नुमा लोहे की राड़ व लोहे की पाइप व असलहे से लैश थे एंव सभी लोग प्रार्थी के दोनो भाई जो मकसूद फौजी के दुकान के अन्दर बैठे थे उनके ऊपर अचानक सभी लोगो ने कीलनुमा राड़ व लोहे की पाइप से प्रार्थी के दोनो भाईयो के ऊपर जान लेने की मकसद से जमकर हमला किया व जब उन सभी लोगो को यह यकीन हुआ कि प्रार्थी के दोनो भाई अब मर चुके है तब उन्हे मरने की हालत मे छोड़ कर वहां से फरार हो गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है और उसे रंजिशन कथित मामले में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त मामले मे प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एंव निष्पक्ष साक्षी जनता का नही है जो यह साबित कर सके कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित की

गयी है। अभियुक्त व सह अभियुक्तो के हाथ मे कौन–2 से हथियार थे उसका स्पष्ट उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही किया गया है। अभियुक्त का चोटहिल की आयी चोटो से कोई वास्ता व सरोकार नही रहा है। और न ही अभियुक्त द्वारा चोटहिलो को चोटे पहुंचायी गयी है। और जो भी चोटे चोटहिलो को आयी है वह स्वंय की पारिवरिक व प्रधानी की रंजिश के चलते गांव के ही लोगो के साथ स्वंय चोटहिल व उनके सह चोटहिलो व गवाहो द्वारा स्वंय गांव के लोगो से की गयी मारपीट मे चोटे आयी है। सत्यता यह है कि अभियुक्त को स्थानीय पुलिस दिनांक 18.05.26 को सुबह करीब 5 बजे घर से पकड़ कर ले आयी तथा कथित घटना मे चार अज्ञात लोगो में वादी द्वारा पुलिस से सांठ गाठ कर फर्जी गिरफ्तारी बेलवा मोड़ पर दिखाते हुए तथा फर्जी बरामदगी दिखाते हुए झूठा चालान कर दिया है। प्रार्थी / अभियुक्त एक सीधा साधा व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 18–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक –अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है किन्तु उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक–अभियुक्त कथित घटना में संलिप्त रहा है। मामले में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है विवेचना प्रचलित है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को बाद में अन्य गवाहान के बयान के आधार पर नाम प्रकाश में आने पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। और गवाह के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्कार्पियों गाड़ी लेकर मकसूद फौजी की दूकान पर बैठे वादी के भाइयों पर कील नुमा लोहे की राड़ व लोहे की पाइप से जान लेवा हमला किया जाना बताया गया है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये कील नुमा लोहे की राड़ व लोहे की पाइप से चोट आने की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट से नही होती है।

जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में घायल चोटहिल ही मुख्य साक्षी है और चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वादी के भाई अब्दुल कादिर को अन्य चोटों के अतिरिक्त 8 भिन्न–भिन्न प्रकार के फ्रेक्चर पाये गये है। इसी प्रकार वादी के दूसरे भाई को भी चोटे आने की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट से होती है। और प्रार्थी/अभियुक्त की निशांदेही पर एक अदद बांस की बरामदगी होना भी दर्शाया गया है। वादी के बुरी तरह से घायल भाई अब्दुल कादिर द्वारा अपने बयानों में अन्य नामित अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण द्वारा भी कील नुमा लोहे की राड़ व लोहे की पाइप को लेकर दूकान में घुसने और जान से मारने की नीयत से कील नुमा लोहे की राड़ व लोहे की पाइप से मारपीट किया जाना बताया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त नही पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्त **एहसान** की ओर से मु०अप०सं० **140/2026**, धारा– **191(2),191(3) 190,109,भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **मोहनगंज,** जिला **अमेठी** मामले में, प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
20–06–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.01 10:51:11 IST
Reason: Document Owner,Order
Location: District and Sessions Court,Raebareli